हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाकार सियारामशरण गुप्त जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

—— केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

देश पर शासन
अधिकार मानते

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 30 मार्च • 2023

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)

कृष्ण कुमार बसिया के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, न्यायालय-।। ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्पोरेट देनदार नामतः मैसर्स जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध (समाधान प्रोफेशनल के माध्यम से) दाखिल किए गए सीपी (आईबी) नंबर 111(एनबी)/2022 (धारा 95 आईबीसी के अंतर्गत) में अपने आदेश दिनांकित 21-02-2023 के माध्यम से आईबीसी की धारा 100 के तहत श्री कृष्ण कुमार बसिया की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। जोकि कार्पोरेट देनदार मैसर्स जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के संदर्भ में है। यह प्रक्रिया-डब्ल्यू.पी.सी. नंबर 307/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगी, समाधान प्रोफेशनल ने माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 21.02.2023 के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन किया था जिसमें की माननीय एनसीएलटी ने इसके आदेश दिनांकित 20-03-2023 (29-03-2023 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से इसके आदेश का स्पष्टीकरण देने का अनुग्रह किया है और श्री कृष्ण कुमार बसिया की ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, श्री कृष्ण कुमार बसिया के लेनदारों को एतद्द्वारा अपना दावा उसके प्रमाण के साथ निर्धारित प्रपत्र बी में दिनांक 20-04-2023 की अथवा पूर्व, समाधान प्रोफेशनल को पता एआरसीके समाधान प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग (सी.पी.) नई दिल्ली-110001 पर अथवा pggeeispat@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत (पंजीकृत) करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

लेनदार अपने दावों का विस्तृत विवरण इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अथवा दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा कुरियर द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर कृष्ण कुमार बसिया का विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री कृष्ण कुमार बसिया
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	ए-28, सेक्टर-19, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 और: एसयू 217, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
3.	दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	21-02-2023 (स्पष्टीकरण आदेश 29-03-2023 को प्राप्त हुआ)
4.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	20.08.2023
5.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	20.04.2023
समाधान पेशेवर का विवरण		
6.	इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल जोकि समाधान पेशेवर है का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	श्री चंचल दुआ IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-2018/10821 एएफए वैधता 10.11.2023 तक
7.	समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: 5/36, प्रथम तल, रमेश नगर, नई दिल्ली - 110015, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ईमेल: CHANCHALDUACO@GMAIL.COM
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पता: 409, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, ईमेल: PGGEEISPAT@GMAIL.COM फोन: 011-45101111/40078344

झूठे या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।

(हस्ता/-)
दिनांक: 30.03.2023
स्थान : नई दिल्ली
चंचल दुआ
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)

श्री अंकित कुमार गुप्ता के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, न्यायालय-।। ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्पोरेट देनदार नामतः मैसर्स जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध (समाधान प्रोफेशनल के माध्यम से) दाखिल किए गए सीपी (आईबी) नंबर 113(एनबी)/2022 (धारा 95 आईबीसी के अंतर्गत) में अपने आदेश दिनांकित 21-02-2023 के माध्यम से आईबीसी की धारा 100 के तहत श्री अंकित कुमार गुप्ता की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। जोकि कार्पोरेट देनदार मैसर्स जी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के संदर्भ में है। यह प्रक्रिया डब्ल्यू.पी.सी. नं. 307/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगी, समाधान प्रोफेशनल ने माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 21.02.2023 के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन किया था जिसमें की माननीय एनसीएलटी ने इसके आदेश दिनांकित 20-03-2023 (29-03-2023 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से इसके आदेश का स्पष्टीकरण देने का अनुग्रह किया है और श्री अंकित कुमार गुप्ता की ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, श्री अंकित कुमार गुप्ता के लेनदारों को एतद्द्वारा अपना दावा उसके प्रमाण के साथ निर्धारित प्रपत्र बी में दिनांक 20-04-2023 की अथवा पूर्व, समाधान प्रोफेशनल को पता एआरसीके समाधान प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग (सी.पी.) नई दिल्ली-110001 पर अथवा pggeeispat@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत (पंजीकृत) करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

लेनदार अपने दावों का विस्तृत विवरण इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अथवा दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा कुरियर द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर श्री अंकित कुमार गुप्ता का विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री अंकित कुमार गुप्ता
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	ए-28, सेक्टर-19, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 और: एसयू 213, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
3.	दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	21-02-2023 (स्पष्टीकरण आदेश 29-03-2023 को प्राप्त हुआ)
4.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	20.08.2023
5.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	20.04.2023
समाधान पेशेवर का विवरण		
6.	इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल जोकि समाधान पेशेवर है का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	श्री चंचल दुआ IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-2018/10821 एएफए वैधता 10.11.2023 तक
7.	समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: 5/36, प्रथम तल, रमेश नगर, नई दिल्ली - 110015, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ईमेल: CHANCHALDUACO@GMAIL.COM
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पता: 409, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, ईमेल: PGGEEISPAT@GMAIL.COM फोन: 011-45101111/40078344

झूठे या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।

(हस्ता/-)
दिनांक: 30.03.2023
स्थान : नई दिल्ली
चंचल दुआ
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

देशज शिक्षा पद्धति को प

नई दिल्ली (एसएनबी)। लेडी श्रीराम कॉलेज के बी.एल.एड. विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिषद सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के सहयोग से बुधवारको सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के आयोजनकर्ता प्रो. सुमन शर्मा एवं संयोजक डॉ. तृप्ति बस्सी ने बताया कि कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 की प्रकृति व विभिन्न दृष्टिकोण तथा परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता को समझना तथा भारतीय कक्षाओं में इसके निहितार्थ को आलोचनात्मक रूप से समझने का प्रयास रहा।

सेमिनार में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर पवन सिन्हा ने इस कार्यक्रम में एनईपी-2020 और सामाजिक विज्ञान' नामक सभा की अध्यक्षता की। प्रो. पवन सिन्हा का शोध कार्य शिक्षा के अधिकार विषय पर है तथा विषयों पर उन्होंने क हैं। प्रो. सिन्हा ने नई अंतर्गत पेडागॉजी क कि हम शिक्षकों को में विद्यार्थियों क क्षमताओं, संवाद अ रूबरू करवाना चाहि भाषण के रूप में अपनी बातों को र मांग है कि हमारी देश को पुनर्जीवित कि भारतीयों में एक र निर्माण हो जो भ

ऑनलाइन समाचार दाखिल अवमान

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रोफेसरों के एक समूह की जेएनयू को संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा बताने वाले दो सौ पन्नों का डोजियर संकलित करने संबंधी न्यूज प्रकाशित करने को लेकर ऑनलाइन समाचार पोर्टल 'द वायर' के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया। मानहानि का दावा जेएनयू की प्रोफेसर अमिता सिंह ने किया था। उन्होंने अपनी याचिका में संपादक व खबर लिखने वाले रिपोर्टर के खिलाफ मानहानि का भी दावा किया था।

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक

पंजीकृत कार्यालय ... शाखा कार्यालय ...

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के 7वां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के.जी. स्थित शाखा कार्यालय से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा उनकी क्रेडि तथा/अथवा ब्याज केएमबीएल की चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रे हैं। कर्जदारों द्वारा केएमबीएल को अधल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपर विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और अद्यतन बकाया केएमबीएल को चुकाई जानी हैं, का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गय कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर तथा समस्त जनसाधारण को एतद्द्वारा अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्यामूत क्रेडिटर केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी की कर्जदारों एवं गारंटरों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एव हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के अधीन यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नाम के सामने दर्शित बकाया राशि इ के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरफा उप-धारा (2) के अधीन किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग कि का कब्जा लेना तथा उसकी बिक्री करने की शक्ति शामिल है। समस्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती

कर्जदारों/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम	प्रत्यामूत आ
1. श्रीमती निशा आनंद (कर्जदार एवं बंधकदाता), एच-31, बी भू तल, पीछे का हिस्सा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, अन्य पता : श्रीमती निशा आनंद (कर्जदार एवं बंधकदाता), प्लॉट नंबर 488, प्रथम तल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-121001 2. श्री मोहित आनंद (सह-कर्जदार) एच-31, बी भू तल, पीछे का हिस्सा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, अन्य पता : श्री मोहित आनंद (सह-कर्जदार) प्लॉट नंबर 488, प्रथम तल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-121001	सम्पत्ति के सभी सी-488, प्रथम तल ग्राम, हरियाणा-121 कवर्ड एरिया 1320 चौहद्दी पूरब उत्तर रोड, दक्षिण
एनपीए तिथि : 08 मार्च, 2023	मांग सूच
तिथि : 30-03-2023 स्थान : गुरुग्राम वास्ते कोटक महिन्द्रा बैंक लि	ऋण खाता सं आईएलएपी 26280 मां बकाया राशि दिनांक